न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 25 / 2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021 / 82

प्रार्थी / आवेदक	बनाम	**अप्रार्थी / अनावेदक**
जैसाराम पुत्र जोधाराम उम्र 81 वर्ष निवासी अम्बापा तह डीडवाना जिला नागौर राज0		भगवान सिंह पुत्र जोधाराम निवासी अम्बापा तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थी जैसाराम स्वंय उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी उपस्थित।

आदेश **दिनांक–** 11/10/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या–5 / 15 बउनवान जैसाराम बनाम भगवानसिंह अन्तर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष एक पत्रावली मुकदमा नम्बर 05 / 15 बउनवान जैसाराम बनाम भगवान सिंह अन्तर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. जैर विचारण है तथा आगामी तारीख पेशी 26.07.2021 नियत है। अनावेदक भगवान सिंह ने सन् 2011 मे माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष एक वाद उद्घोषणा बाबत पेश किया यह वाद भगवान सिंह ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 41 बीघा 09 बिस्वा ग्राम अम्बापा तहडीडवाना मे अवस्थित है के सम्बन्ध मे आवेदक एंव अनावेदक के पिता जोधाराम के नाम कतई गलत फर्जी स्टाम्प दिनांक 20.05.1990 का तैयार कर पेश किया और अपने वाद मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया की असल दस्तावेज पेश है जबकि आज तक असल दस्तावेज भगवान सिंह ने न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय डीडवाना के समक्ष पेश नही किये है। अनावेदक संख्या 01 भगवान सिंह ने उक्त वाद की आड मे कृषि भुमि खसरा नमबर 70 रकबा 41 बीघा 09 विस्वा जो कि पूर्व मे आवेदक एंव अनावेदक के पिता जोधाराम के द्वारा क्रय की गई थी श्री जोधाराम की मृत्यु दिनांक 22.05.1995 के पश्चात फौतगी नामान्तरणकरण उनके वारिश अर्थात पुत्रगण आवेदक जैसाराम, श्री लक्ष्मण सिंह, पीथाराम, हरि सिंह व अ[illegible] भगवान सिंह के नाम दर्ज हुआ उक्त भुमि मे आवेदक के सभी भाईयो का 1/5–1/5 हिस्सा है [illegible] सिंह का हिस्सा अपने पक्ष मे तर्क करवा लिया है इस प्रकार आवेदक उक्त भूमि मे 16 [illegible] 08 बिस्वा भूमि रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार निरन्तर एंव निर्बाद रूप से चला आ रहा है जबकि अनावेदक भगवान सिंह उक्त [illegible] भूमि को हडपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

की नियत से गलत दस्तावेजो एवं वाद के आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा की गई तो आवेदक ने माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0स0 दिनांक 16.07.2015 को पेश किया जिसको माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने थानाधिकारी जसवन्तगढ को वास्ते जांच भेजा तत्पश्चात थानाधिकारी जसवंतगढ ने 20.07.2015 को परिवाद श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पर दिनांक 29.11.2016 को उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी जसवंतगढ का रिसीवर नियुक्त किया तत्पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना ने दिनांक 09.08.2019 के आदेश के द्वारा कुर्की मुक्त कर कब्जा अनावेदक भगवान सिंह को दिलवने का आदेश किया इस निर्णय के विरूद्ध आवेदक ने माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश डीडवाना के समक्ष निगरानी पेश की जिसको बाद सुनवाई 21.07.2020 को अपर सेशन न्यायाधीश डीडवाना ने विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना मजिस्ट्रेट डीडवाना के आदेश दिनांक 09.08.2019 को अपास्त कर प्रकरण की पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्त न्यायालय के रिमांड कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधी अनुसार फ्रेश आदेश पारित किये जाने के आदेश पारित किये, तत्पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 10.08.2020 को अपर सेशन न्यायालय की पत्रावली श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राप्त होने पर दिनांक 31.08.2020 नियत की गई दिनांक 16.07.2021 को आवेदक ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली जाये परन्तु माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब ने आवेदन का निरस्त कर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 19.07.2021 को नियत की गई। आवेदक ने दिनांक 19.07.2021 को श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन पेश कर निवेदन किया की आवेदक को न्याय की उम्मीद नही है लिहाजा पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर को आवेदन पेश करने निवेदन किया जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने पत्रावली को सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2021 को पेश करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध पत्रावली को अन्यत्र सुनवाई हेतु स्थानान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक भगवान सिंह ने कतई गलत दस्तावेज तैयार कर आवेदक एंव अनावेदक के पिता स्व0 जोधाराम जाली हस्ताक्षर कर कृषि भुमि खसरा नम्बर 70 रकबा 41 बीघा 09 बिस्वा को हडपने की कुचेष्टा मे है तथा ऐनकेन प्रकरण उक्त कुर्क को साजिश के तहत समाप्त कर सम्पूर्ण भुमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि उक्त भुमि मे अनावेदक भगवानसिंह का 1/5 हिस्सा है। अनावेदक भगवान सिंह राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो दिनांक 19.07.2021 से ऐलानिया सरेआम कहता फिर रहा है कि मैने उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना को अपने पक्ष मे कर लिया तथा निर्णय भी मेरे पक्ष मे करवाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके ही रहुंगा जिससे आवेदक के मन मे स्पष्ट आशंका हो गई है कि आवेदक को माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना से न्याय की उम्मीद नही है। पत्रावली मे माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु श्रीमान् तहसीलदार व अधिवक्ता केशव ओझा को नियुक्त किया जिसकी आवेदक को भनक तक नहीं लगने दी दोनो मौका रिपोर्ट आवेदक की अनुपस्थिति में भगवान सिंह से मिलीभगत करके पेश करवाई गई है इसके सम्बन्ध मे न तो आवेदक व न उसके अधिवक्ता को नोटिस ही करवाया जिससे ऐसा प्रतित होता है कि श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब भगवान सिंह से मिले हुये है क्योंकि भगवान सिंह अत्यधीक राजनैतिक पंहुच वाला व्यक्ति है जो अपने प्रभाव से प्रकरण मे निर्णय अपने पक्ष मे कराने पर आमादा है।

उक्त पत्रावली को डीडवाना, लाडनू, नावा कुचामन से अन्यत्र कही भी सक्षम न्यायालय मे भेजकर सुनवाई करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अनावेदक भगवान सिंह का लाडनू, डीडवाना, कुचामन, नावा इस इलाके मे राजनैतिक प्रभाव होने से आवेदक को सुनवाई के लिये न्याय नही मिलने का कथन करते हुए प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 05/2015 बउनवान जैसाराम बनाम भगवान सिंह की सुनवाई डीडवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्थान पर अन्य न्यायालय मे सुनवाई किये जाने की आज्ञा दी जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि धारा 145 सीआर.पी.सी. के प्रकरण संख्या 5/2015 अदालत एस.डी.एम, डीडवाना के प्रकरण को मुन्तकिल करवाने के लिए धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है इसलिए प्रार्थी का उपरोक्त आवेदन धारा 235 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत संधार्य नहीं बल्कि उक्त प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 411 लागू होती है।

प्रार्थी का वादग्रस्त खेत खसरा नं. 70 रकबा 41 बीघा 9 बिस्वा सरहद मौजा अम्बापा में कोई हक नहीं है उक्त भूमि की प्रतिफल की राशी प्रार्थी व अन्य भाईयो के अलग होने के पश्चात अप्रार्थी ने अपने पिता व विक्रेता सुलतानसिंह वगैरा को अदा की थी मगर विक्रय पत्र अप्रार्थी के पिता परिवार का मुखिया होने के कारण उनके नाम निष्पादित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के पिता जोधाराम उक्त भूमि को अप्रार्थी भगवानसिंह के हक में शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 27.5.90 को निष्पादित करके यह स्वीकार किया कि उक्त खेत अप्रार्थी भगवानसिंह की खातेदारी का है अन्य चारो पुत्रो का कोई हक, हिस्सा नहीं है उक्त लिखापढी पर अप्रार्थी के पिता जोधारामजी ने हस्ताक्षर किये व जोधाराम जी के कहने पर उनके पुत्र हीरसिह व भाणजे अर्जुनराम ने हस्ताक्षर किये तथा जीवणराम ने अंगुष्ठ निशानी की। अप्रार्थी ने उक्त लिखापढी पर हस्ताक्षरध्अ.नि. करने वाले हीरसिंह, अर्जुनराम, जीवणराम के धारा 145 सीआर.पी.सी. में व पुलिस के समक्ष शपथ पत्र पेश किया व बयान भी करवाये है। उक्त लिखापढी पर अंगुठा करने वाले जीवणराम का देहान्त हो चुका है। उक्त लिखापढी के पश्चात अप्रार्थी की माता का देहान्त होने के पश्चात करीब 14–15 दिन बाद अप्रार्थी के अन्य भाई लक्ष्मणसिंह, पीथाराम, हीरसिंह व प्रार्थी जैसाराम स्वयं ने 100रू. के स्टाम्प पर इकरारनामा लिख कर यह स्वीकार किया कि उक्त खेत अप्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा स्व. जोधारामजी के वारीसान का उक्त खेत में कोई हक कब्जा काश्त नहीं है उक्त इकरारनामा पर पीथाराम, लक्ष्मणसिंह, हीरसिंह व प्रार्थी जैसाराम स्वयं ने हस्ताक्षर करके नोटेरी पब्लिक से दिनांक 05.10.2001 को तस्दीक करवाया था। उपरोक्त इकरारनामा पर जीवणराम व ईश्वरराम ने साखे डाली थी। अप्रार्थी ने ईश्वरराम व अपने भाई हीरसिंह भतीजे हरदेवसिंह पुत्र पीथाराम के धारा 145सीआर.पी.सी. व अन्य प्रकरणो में साक्ष्य करवाये व शपथ पत्र दिलवाये है। उक्त खेत के विक्रय पत्र पर साखे डालने वाले जगदीशसिंह की पत्नी मदनकंवर ने भी शपथ पत्र व साक्ष्य देकर यह स्वीकार किया कि उक्त खेत भगवानसिंह द्वारा खरीदा गया था तथा प्रतिफल की राशी का भुगतान भी भगवानसिंह द्वारा किया गया था।

अप्रार्थी ने उपरोक्त खेत राजस्व रेकर्ड में अपनी खातेदारी का दर्ज करवाने के लिए अदालत सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष राजस्व वाद संख्या 19/2011 घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश किया गया था। उक्त वाद में प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त खेत पर अप्रार्थी का कब्जा मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो आज भी जारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने के लिए उसके पिता स्व. जोधारामजी की लिखापढी प्रार्थी व अपार्थी व भाईयो के बीच लिखे हुऐ इकरारनामा को मिथ्या व कूटरचित बताते हुऐ परिवाद के माध्यम से प्र.सू.रि.सं. 247 दिनांक 1.12.2016 को परिवाद के माध्यम से पुलिस थाना डीडवाना में दर्ज करवाई थी। उक्त अपराधिक प्रकरण में कई अनुसंधान अधिकारियो ने गहनता से अनुसंधान करके अप्रार्थी के हक में वादग्रस्त खेत के संबंध में उनके पिता जोधारामजी की लिखापढी व हस्ताक्षर होना व चारो भाईयो के बीच लिखे गये इकरारनामा पर प्रार्थी व अन्य भाईयो के हस्ताक्षर सही होने [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की जो न्यायालय ने भी स्वीकार कर ली। उक्त फौजदारी प्रकरण में [illegible] इकरारनामा दिनांक 5.10.2001 पर उसके हस्ताक्षरो से मिलान व जांच करने [illegible] अनुसंधान [illegible]रियो ने मौखिक व नोटिस देकर कई बार प्रार्थी को बुलाया था मगर प्रार्थी ने जानबूझ कर अपने [illegible] अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया क्योकि वह जानता था कि उपरोक्त [illegible] हस्ताक्षर सही है व इन हस्ताक्षरो के सही होने की पुष्टि न केवल अप्रार्थी बल्कि भाई हरीसिंह व स्व. भाई पीथाराम के भाई हरदेवसिंह द्वारा की गयी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

बल्कि प्रार्थी के अन्य हस्ताक्षरो से मिलान करने से समानता प्रकट होती है कि उक्त इकरारनामा पर प्रार्थी के हस्ताक्षर सही है इस प्रकार उपरोक्त सारे तथ्यो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खेत अप्रार्थी का खरीदसुदा है व 40 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है जिसकी पुष्टि खेत पडौसी व मौका निरीक्षण रिपोर्ट से भी होती है। उपरोक्त खेत का तीन बार राजस्व अधिकारियो व दो बार पुलिस ने प्रार्थी की मौजूदगी में मौका मुआयना किया व अप्रार्थी का कब्जा होना पाया। प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य राजस्व वाद व धारा 145 सीआर.पी.सी. के प्रकरण को किसी–न–किसी बहाने विलम्बित करके अप्रार्थी जो कि एक काश्तकार व्यक्ति है उसकी भूमि हड़पने की नियत से तंग व परेशान कर रहा है। न्यायालय एस.डी.एम. डीडवाना ने प्रार्थी को कई अवसर दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने हेतु दिये थे मगर प्रार्थी बिना किसी उचित कारण के न तो कोई दस्तावेज अपने परिवाद की पुष्टि करने के लिए 2. पेश किये न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश कर रहा है। क्योकि प्रकरण सन 2015 से चल रहा है इसलिए ऐसे प्रकरणो में एस.डी.एम. का यह दायित्व है कि उनका विधिनुसार निस्तारण करे मगर इस प्रकरण को विलम्बित करने के लिए प्रार्थी पिछले 6 साल से विभिन्न प्रकार के हथकण्डे अपना रहा है तथा इन 6 वर्षों में जो भी एस.डी.एम. पद पर कार्यरत है उनकी प्रार्थी ने न केवल शिकायते की बल्कि तत्कालिन एस.डी.एम. डीडवाना व थाना प्रभारी पुलिस थाना जसवन्तगढ आदि में धारा 420, 467, 468, 471,193, 167, 120बी भादसं. में परिवाद पेश कर चुका है इसी बदनियती से यह आवेदन धारा 145 सीआर.पी.सी. के तहत प्रकरण के निस्तारण में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए पेश किया गया है।

लिखापढी दिनांक 20.5.90 पर प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता जोधारामजी के हस्ताक्षर है जिसकी पुष्टि न केवल पुलिस अनुसंधान से होती है बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी, हीरसिंह, लक्ष्मणसिंह व पीथाराम के बीच दिनांक 5.10.2001 को जो इकरारनामा लिखा गया, उक्त लिखापढी में भी पूर्व की लिखापढी को स्वीकार करते हुऐ वादग्रस्त खेत में अप्रार्थी के अलावा जोधारामजी के अन्य वारीसो का हक हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया गया।

अप्रार्थी एक साधारण काश्तकार है जिसकी कोई राजनेतिक पहुँच नहीं है जबकि प्रार्थी सुबेदार मेजर से सेवानिवृत अधिकारी है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि दिनांक 19.7.2021 को अप्रार्थी ऐलानिया कहता हो कि उसने उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को अपने पक्ष में कर लिया है तथा वह सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लेगा। जबकि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पिछले 40 सालो से रहती आई है। अप्रार्थी, एस.डी.एम.डीडवाना को जानता भी नहीं है इसलिए प्रार्थी के उपरोक्त सारे आरोप मनगढंत व बेबुनियाद है।

तहसीलदार डीडवाना व केशव ओझा अधिवक्ता ने प्रार्थी व अन्य खेत पड़ौसियों व मौजीज व्यक्तियों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया था। उक्त मौका निरीक्षण से पूर्व प्रार्थी को सूचित भी किया था जिसकी दस्तावेजी साक्ष्य धारा 145 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही में पेश की हुई है प्रार्थी के उपरोक्त आरोप पूर्णतया मिथ्या व मनगढंत है।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस सूची दस्तावेज के साथ सहायक कलक्टर डीडवाना के प्रकरण संख्या 219/2011 की आदेशिका दिनांक 26.03.2018 व 21.12.2018 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की आदेशिका दिनांक 26.03.2018 के अनुसार हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी जैसाराम द्वारा पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास जताया तथा न्यायालय की प्रक्रिया से सतुष्ठ नहीं होना बताया गया तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 21.12.2018 के अनुसार जैसाराम के वकील द्वारा आवेदन पत्र पेश कर पीठासीन अधिकारी पर पूर्ण विश्वास है तथा पत्रावली की कार्यवाही भी उनके ही न्यायालय में करवाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकरण में जब चाहे पीठासीन अधिकारी अविश्वास व्यक्त कर देता है, और जब चाहे तब उसी पर पुनः विश्वास कर उसी पीठासीन अधिकारी से प्रकरण की सुनवाई करने हेतु अनुरोध कर देता है। इसलिए भी प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 5 / 15 न्यायालय एस.डीएम. डीडवाना धारा 145 सीआर.पी.सी. को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल करने का कोई आधार नहीं है। एस.डी.एम. जैसे उच्च अधिकारी पर बिना किसी आधार के शक व शंका करना चित व विधि सम्मत नहीं है। एस.डी.एम. डीडवाना अप्रार्थी के मिलने वाले या उसकी जाति बिरादरी के नहीं है। प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया मिथ्या व मनगढंत है कि दिनांक 19.2.201 को अप्रार्थी यह कहता फिर रहा हो कि एस.डी.एम. मेरे पक्ष में है, कोई भी सामान्य बुद्वि वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के आम जनता में ऐसा कहते हुऐ नहीं घूमेगा। प्रार्थी ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि अप्रार्थी ने ऐसा कब व किसके सामने ऐसा कथन किया था? सरसरी तौर पर देखने से भी प्रार्थी का एस.डी.एम. डीडवाना पर लगाये गये आरोप मिथ्या व मनगढंत है तथा प्रकरण किसी अन्य एस.डी.एम. के पास स्थानान्तरण करने का कोई ठोस आधार नहीं है व बिना किसी उचित कारण के किसी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने से अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी हतोत्साहित होते है तथा प्रार्थी जैसे शिकायती लोग अधिकारियो द्वारा विधिनुसार की जाने वाली कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन मय खर्चा हर्जा खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.1974 पेज–32 से 34 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत आवेदन पत्र एवं बहस में प्रार्थी द्वारा के अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं की गई कार्यवाही आदि का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को सुनवाई हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित है अथवा नहीं, के संबंध में विचार किया जाकर उचित आदेश पारित किया जाना उचित पाते है।

प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन पत्र धारा 235 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 145 सीआर.पी.सी. के प्रकरण संख्या 5 / 2015 अदालत एस.डी. एम, डीडवाना के प्रकरण को मुन्तकिल करवाने के लिए धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि उक्त प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 411 लागू होती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारा 235 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र विधि अनुसार सही नहीं है, जिसकी पुष्टि वकील अप्रार्थी के कथनों से भी होती है।

प्रार्थी का कथन कि उसने उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली जाये परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने आवेदन का निरस्त कर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 19.07.2021 को नियत की गई। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.07.21 को प्रार्थी को उसके आवेदन पर सुनकर आदेश पारित किया है।

प्रार्थी का कथन कि अनावेदक भगवान सिंह राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो दिनांक 19.07.2021 से ऐलानिया सरेआम कहता फिर रहा है कि मैने उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना को अपने पक्ष मे कर लिया तथा निर्णय भी मेरे पक्ष मे करवाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके ही रहुंगा जिससे आवेदक के मन मे स्पष्ट आशंका हो गई है कि आवेदक को माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना से न्याय की उम्मीद नही है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी एक साधारण काश्तकार है जिसकी कोई राजनेतिक पहुँच नहीं है [illegible] से सेवानिवृत अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त कथन को गलत होना अवगत कराते हुए यह [illegible] किया है कि एस.डी.एम. जैसे उच्च अधिकारी पर बिना किसी आधार के शक व [illegible] है। एस.डी.एम. डीडवाना अप्रार्थी के मिलने वाले या उसकी जाति बिरादरी के नहीं है [illegible] भी सामान्य बुद्वि वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के आम जनता में [illegible]। प्रार्थी ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अप्रार्थी ने ऐसा कब व किसके सामने ऐसा कथन किया था। सरसरी तौर पर देखने से भी प्रार्थी का एस.डी.एम. डीडवाना पर लगाये गये आरोप मिथ्या व मनगढंत है तथा प्रकरण किसी अन्य एस.डी.एम. के पास स्थानान्तरण करने का कोई ठोस आधार नहीं है व बिना किसी उचित कारण के किसी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने से अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी हतोत्साहित होते है तथा प्रार्थी जैसे शिकायती लोग अधिकारियो द्वारा विधिनुसार की जाने वाली कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित होने का कथन वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया है। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने भी अपनी बिन्दुवार रिपोर्ट में बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी के कथनों एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना की बिन्दुवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा किये गये उपर्युक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

प्रार्थी का कथन कि पत्रावली मे उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार व अधिवक्ता केशव ओझा को नियुक्त किया जिसकी आवेदक को भनक तक नहीं लगने दी दोनो मौका रिपोर्ट आवेदक की अनुपस्थिति में भगवान सिंह से मिलीभगत करके पेश करवाई गई है इसके सम्बन्ध मे न तो आवेदक व न उसके अधिवक्ता को नोटेड ही करवाया जिससे ऐसा प्रतित होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब भगवान सिंह से मिले हुये है क्योंकि भगवान सिंह अत्यधिक राजनैतिक पंहुच वाला व्यक्ति है जो अपने प्रभाव से प्रकरण मे निर्णय अपने पक्ष मे कराने पर आमादा है। प्रार्थी के उक्त कथन के संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि तहसीलदार डीडवाना व केशव ओझा अधिवक्ता ने प्रार्थी व अन्य खेत पड़ौसियों व मौजीज व्यक्तियों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया था। उक्त मौका निरीक्षण से पूर्व प्रार्थी को सूचित भी किया था जिसकी दस्तावेजी साक्ष्य धारा 145 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही में पेश की हुई है प्रार्थी के उपरोक्त आरोप पूर्णतया मिथ्या व मनगढंत होना वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपनी बिन्दुवार टिप्पणी में प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही होना बताया है एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा प्रार्थी के उपर्युक्त कथन की स्वीकारोक्ति नहीं दी है। प्रार्थी के उपर्युक्त कथन से उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना द्वारा अप्रार्थी से मिलीभगत करने का कोई कारण प्रकट नहीं हो रहा है। इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने से न्याय व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विपक्षी पक्षकार को भी प्रकरण को बिना किसी ठोस कारण के अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिये जाने से अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested